

राजस्थान सरकार  
नगरीय विकास विभाग

क्रमांक प.11(7)नविवि / सिवाना / 2023

जयपुर, दिनांक 22 JUN 2023

अधिसूचना

राजस्थान नगर सुधार न्यास अधिनियम, 1959 (राजस्थान अधिनियम सं. 35 सन् 1959) की धारा 3 की उपधारा (1) के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार एतद्वारा वरिष्ठ नगर नियोजक, जोधपुर जोन, जोधपुर को सिवाना (जिला-वाडमेर) के नगरीय क्षेत्र, जिसमें निम्नलिखित राजस्व ग्राम सम्मिलित हैं, का सिविक सर्वेक्षण एवं क्षितिज वर्ष-2043 तक का मास्टर प्लान तैयार किये जाने हेतु नियुक्त करती हैं:-

क्र. सं.	राजस्व ग्राम का नाम (हिन्दी में)	राजस्व ग्राम का नाम (अंग्रेजी में)	तहसील
1.	सिवाना	SIWANA	सिवाना
2.	हरमलपुरा	HARMALPURA	सिवाना
3.	पर्वत नगर	PARBAT NAGAR	सिवाना
4.	पादरडी कलां	PADARDI KALAN	सिवाना
5.	खेतासर	KHETASAR	सिवाना
6.	ऊमसर	UMSAR	सिवाना
7.	निम्बेश्वर	NIMABESHWAR	सिवाना
8.	पीपलून-भाग (वेर नदी की उत्तरी व पूर्वी दिशा का संपूर्ण क्षेत्र)	PEEPLOON-PART (COMPLETE PART OF VILLAGE IN NORTH & EAST DIRECTION OF VER NADI)	सिवाना
9.	गूंगरोट-भाग (वेर नदी की पूर्वी दिशा व नानेरी बागुण्डा डेम की उत्तरी दिशा का संपूर्ण क्षेत्र)	PEEPLOON-PART (COMPLETE PART OF VILLAGE IN NORTH & EAST DIRECTION OF VER NADI AND NORTH DIRECTION OF NANERI BAGUNDA DAM)	सिवाना

राज्यपाल की आज्ञा से,

(संचिता ब्रिश्नोई)  
संयुक्त शासन सचिव-द्वितीय

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री महोदय, नगरीय विकास एवं स्वायत्त शासन विभाग, राज. जयपुर।
2. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, राजस्व विभाग, जयपुर।
3. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, नगरीय विकास विभाग, जयपुर।
4. निजी सचिव, शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, जयपुर।
5. जिला कलक्टर, बाडमेर।
6. मुख्य नगर नियोजक, राजस्थान, जयपुर।
7. अतिरिक्त नगर नियोजक (पूर्व), राजस्थान, जयपुर।
8. वरिष्ठ नगर नियोजक, जोधपुर जोन, जोधपुर।
9. अधिशाषी अधिकारी, नगर पालिका, सिवाना (जिला-बाडमेर)।
10. वरिष्ठ उप शासन सचिव, नगरीय विकास एवं आवासन विभाग को अधिसूचना राजस्थान राजपत्र के असाधारण अंक दिनांक .06.2023 में प्रकाशन हेतु ऑनलाईन भिजवाये जाने एवं विभागीय वेबसाईट पर अपलोड किये जाने हेतु।
11. रक्षित पत्रावली।

संयुक्त शासन सचिव-द्वितीय